कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0-1/श0स्था0नि0/ 　　　　 दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, डेहरीडालमिया नगर
जिला– रोहतास

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
प्राप्ति तिथि
13 DEC 2016

महाशय,

नगर परिषद, डेहरीडालमिया नगर के वर्ष 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 297/16-17 आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव को प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा [illegible] की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

पत्र पंजी
14 DEC 2016
13729
संख्या

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0-एल0ए0/एस.एस.-1/श0स्था0नि0/14620/333 　　　　 दिनांक– 06/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, रोहतास

6/12/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 297/16–17

भाग–1

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम:– नगर परिषद् डेहरीडालमिया नगर, रोहतास।

2. लेखा परीक्षा की अवधि:– 2015–16

3. लेखा परीक्षा की क्षेत्र:–लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –I एवं लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर हैं।

4. लेखा परीक्षा की तिथि:– 28–05–2016 से 08–06–2016

5. **प्रशासन**

क्र0	मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्री शम्भू राम	01.04.2015 से 31.03.2016
2.		

क्र0	उप मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्रीमंती सुनीता देवी	01.04.2015 से 31.03.2016
2.		

क्र0	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1.	श्री विरेन्द्र कुमार	01.04.2015 से मई 2015
2.	श्री अखिलेश्वर कुमार शर्मा	मई 2015 से अगस्त 2015
3.	मो0 जमाल अख्तर अंसारी	अगस्त 2015 से 31.03.2016

6. लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण:– 1. श्री संजीव नयन, स0ले0प0अ0
2. श्री राजकिशोर कुमार, पर्यवेक्षक
3. श्री सुनील कुमार, व0ले0प0
4. श्री सुमन कुमार ठाकुर, लेखापरीक्षक

7. निरीक्षि अधिकारी का नाम:– श्री रवि कुमार, ले0प0अ0

8. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी

के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

नगर परिषद्, डिहरी डालमियॉनगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद्, डिहरी डालमियॉनगर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्धेश्य पूरा नहीं हो पाता है।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की जाय।

9. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत डिहरी डालमियॉनगर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह कर, मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता थी। नगर निकाय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राशि को अवरोधित रखने की की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर निकाय कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः निकाय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हॉं

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :– अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि--शून्य
वसूली हेतु सुझाई गई राशि– 9133916
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि-- 27026980
विस्तृत विवरणी विवरण परिशिष्ट-- V पर है।

12 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिर्वतन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर निकाय बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति

राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निकाय को लौटा देगी।

परन्तु नगर निकाय द्वारा बजट संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

13. वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र (BALANCE SHEET) तैयार करना है।

नगर परिषद्, डिहरी डालमियाँनगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को नहीं बनाया गया था। वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को तैयार नहीं करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

14. आय– व्यय विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया जाना

नगर परिषद् डिहरी डालमियाँनगर के प्रस्तुत किए गए लेखापाल/सहायक रोकड़ बहियों एवं आय– व्यय विवरणी के अनुसार वर्ष का आय –व्यय निम्नवत् था।

	2015–16		
प्रा0 शेष	206490441.47		
प्राप्तियाँ	161395291.55		
कुल	367885733.02		
व्यय	77481930.17		
अंतशेष	290403802.85		

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. रोकड़ बही का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है, प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण अर्थात स्वीकृतिदाता पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक एवं उद्देश्य दर्ज नहीं है। साथ ही व्यय राशि वर्गीकरण नहीं किया गया था।

2. किसी भी रोकड़बही में मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय– व्यय विवरणी तथा बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार किया गया।

3. संबंधित अभिश्रवों क्रमानुसार रक्षी संचिका में नहीं रखा गया था, सभी अभिश्रव अलग– अलग संचिका में थे जिसके फलस्वरूप सभी अभिश्रवों का मिलान रोकड़बही से नहीं किया जा सका।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में रोकड़बही का संधारण समुचित ढंग से किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निकाय प्रतिदिन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर परिषद्, डिहरी डालमियॉनगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर निकाय कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर निकाय के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमिततायें पायी गयी जिसका विवरण आगे के ज्ञापनों में दिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा में यह अवगत नहीं कराया गया कि नगर निकाय कार्यालय में वित्तीय अनुशासन एवं लेखा–नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या ठोस एव सुदृढ कार्रवाई की गयी, एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में विहित आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गयी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नगर विकास की ओर से एवं अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

<u>भाग– II (क)</u>

कंडिका 1– सामग्री क्रय में अनियमितता एवं वैट आदि की कम कटौती रू 1.01 करोड़

नगर परिषद् डिहरी डालमियॉनगर के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.08.2014 को कार्यावली संख्या 03 एवं नगर परिषद् बोर्ड की बैठक दिनांक 05.09.2014 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा प्रत्येक वार्ड में 25–25 एल0ई0डी0 लाईट पोल सहित एवं परिषद् क्षेत्र में रिंग रोड पर स्ट्रीट लाईट एवं चौक चौराहे पर फब्बारा एवं शहर के प्रवेश द्वार पर एल0ई0डी0 युक्त गेंट लगवाने एवं हाई मास्ट लाईट

लगाने का निर्णय लिया गया। परन्तु संचिका में लगाये जाने वाले लाईटों के आवश्यकयता का निर्धारण सर्वे कराकर या विस्तृत परियोजना (DPR) तैयार करा कर या अन्य पेशेवर तरीके से नहीं कराया गया था।

उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डिहरी डालमियॉनगर द्वारा हाई मास्ट लाईट, एल0ई0डी0 लाईट एवं अन्य समाग्री हेतु निविदा निकाला गया जिसे पत्रांक 924 दिनांक–23.09.2014 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया जिसे दिनांक–29.09.2014 को दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया।

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 के अनुसार यदि क्रय समाग्री का मूल्य रू 10 लाख या अधिक हो तो तीन सदस्यीय क्रय समिति के गठन किये जाने का प्रावधान है, परन्तु क्रय समिति का गठन नहीं किया था, जो कि अनियमित था।

इस विज्ञापन के आलोक में कुल 3 निविदा नगर परिषद् कार्यालय में प्राप्त हुआ।
तीनों निविदादाताओं के नाम इस प्रकार हैं।

1. लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, वार्डसं0. 20, लक्ष्मीपुर, सीवान।
2. सती ट्रेडिंग कम्पनी, निरालानगर, सीवान।
3. भरद्वाज कंस्ट्रक्शन पंश्चिम चम्पारण, बेतिया।

दिनांक 14.10.2014 को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष तकनीकी निविदा खोली गयी एवं संलग्न कागजातों के आधार पर सती ट्रेडिंग कम्पनी, निरालानगर, सीवान एवं भरद्वाज कंस्ट्रक्शन पंश्चिम चम्पारण, बेतिया को असफल घोषित कर दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप वित्तिय निविदा एक ही फर्म का खोला गया एवं एक ही फर्म के दर के आधार पर क्रय किया गया जो कि अनियमित है। इसे एकल निविदा का मामला मानते हुए, निविदा का पुनः विज्ञापन किया जाना चाहिए था। परन्तु अनियमित रूप से एक ही फर्म के दर के आधार पर समझौतर वार्ता किया गया जिसमें निविदित दर से 3 प्रतिशत कम पर सहमति बनी एवं क्रय किया गया।

बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 8672 दिनांक 11.09.2009 के द्वारा बुडा को राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति राज्य क्रय संगठन नामित किया गया था। परन्तु इस मामले में बुडा के माध्यम से दर निर्धारण अथवा क्रय नहीं किया गया जो कि अनियमित है।

क्रय किये गये समाग्रियों के भुगतान विपत्र से स्रोत पर वैट की कटौती की निर्धारित दर से नहीं की गयी।

क्र	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	मूल्य	वैट दर	वैट राशि	वैट कटौती	वैट की कम कटौती	अभियुक्ति
		सामाग्री का विपत्र						
1	Supply of 65W LED street Light with complete required accessories system for installation in Existing Pole. **(Make- Bajaj)**	लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, वार्ड सं0. 20, लक्ष्मीपुर, सिवान।	10062780 266 Nos @ 37830 =10062780	13.5%	1358475	503139	**855336**	
		अधिष्ठापन कार्य का विपत्र						
			अधिष्ठापन व्यय	सेवा कर दर	सेवा कर	सेवाकर कटौती	सेवाकर की कम कटौती	
		अधिष्ठापन व्यय पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया है जिसके फलस्वरूप सेवाकर की राशि की गणना नही की जा सकी।						

अंभिश्रव पर यह अंकित है कि कार्य की मापी मापीपुस्त संख्या 01 के पृष्ठ संख्या 1 से 15 पर दर्ज है, परन्तु संचिका में मापी पुस्त संलग्न नहीं है, सबंधित मापी पुस्त को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गांरटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि नहीं काटी गयी है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि एकरारनामा के कंडिका संख्या 2 में अंकित है कि आपूर्ति के पश्चात करों के कटौती के उपरान्त 05 प्रतिशत राशि सुरक्षित जमा राशि की कटौती के बाद भुगतान किया जायगा। परन्तु सुरक्षित जमा राशि रू **503139** (05 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गयी।

अतः अतिरिक्त कटौती योग्य राशि रू **1358475** (वैट – रू 855336 एवं सुरक्षित जमा– रू 503139) के नहीं काटने के एवं अन्य उपर्युक्त त्रुटियों के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अधिष्ठापित किये गये लाईटों में बिजली कनेक्शन/भुगतान की प्रक्रिया, बिजली विपत्र भुगतान संबंधी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। संचिका में लाईटों का स्थानीय नागरिकों से अधिष्ठापन प्रमाण पत्र नहीं लिए गये थे परन्तु वार्ड पार्षदों द्वारा अपने– अपने वार्ड में लगाए गये लाईटों का अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संलग्न था।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि एल0ई0डी0 क्रय में अनियमितता की तकनीकी पदाधिकारी से जॉच कराकर कार्रवाई की जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय। रू 1358475 की वसूली की जाय एवं 8704305 (10062780– 1358475) आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका 2– रोकड़पाल के द्वारा राशि जमा नहीं रू 5438106

नगर परिषद डिहरी डालमियॉनगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्राप्तियों के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि रोकड़पाल श्री सुधीर कुमार राउत द्वारा संग्रह की गयी राशि से रू **5438106** कम जमा किया गया था।

विविध रसीद संख्या	तिथि	संग्रह राशि	
2301–2400	25.02.16 से 21.04.16	1480827	
2401–2469	21.04.16 से 26.05.16	849072	
1901–2000	11.02.15 से 11.08.15	265745	
2001–2100	12.08.15 से 18.12.15	1621281	
2201–2300	18.12.15 से 25.02.16	1321440	
2102–2122	07.10.15 से 30.05.16	56500	
विभिन्न कर संग्रहको से प्राप्त राशि जिसे जमा नहीं किया गया		1966441	विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर
	कुल	**7561306**	
बैंक में जमा राशि	01.06.15	750000	
	19.11.15	1373200	
	कम जमा	**5438106**	

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी नाजीर द्वारा बैंक खाता में जमा राशि एवं एवं समायोजित राशि की विवरणी निम्नवत् है।

1. कुल प्राप्त राशि – रू 7561306
2. नाजीर द्वारा बैंक में कुल नगद जमा – रू 5516814 (1.4.15 से 26.5.15)
3. चेक /ड्राफट की राशि बैंक में जमा – रू 515436
4. अभिश्रव की राशि को समायोजित किया गया – रू 542056
5. विविध एवं अन्य राशि को समायोजित किया गया – रू 987000

नाजीर के पास शेष राशि शून्य बचती है।

उपरोक्त जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि क्रमांक 2 पर अंकित बैंक में जमा नगद राशि रू 2123200 (750000+ 1373200) का प्रमाण लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, शेष से संबंधित बैंक पासबुक/जमा का प्रमाण लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया है। चेक/ड्राफट की जमा राशि का कोई चेकवार विवरण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः इसे नहीं माना जा सकता है। क्रमांक 4 में अंकित अभिश्रव के राशिं का प्राप्ति राशि से समायोजन का कोई प्रावधान नगरपालिका लेखा नियमावली में नहीं है। इसी प्रकार क्रमांक 5 विविध एवं अन्य राशि के भी समायोजन का कोई प्रावधान नगरपालिका लेखा नियमावली में नहीं है। अतः बैंक में नाजीर द्वारा नगद जमा राशि का सत्यापन जिला पदाधिकारी

कार्यालय या नगर विकास विभाग के उच्च पदाधिकारी से कराया जाय एवं राशि ₹ 3314906 (5438106–2123200) शीघ्र नगर निधि में जमा कराया जाये।

भाग– II (ख)

कंडिका 3– संचार टावरों का अनधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि रू 73.64 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उससे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्र में संचार टावर पंजीकरण शुल्क के रूप में **रू 40000** प्रतिटावर एवं **रू 10000** नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान् स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता हे तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर परिषद् डिहरी डालमियानगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार 36 संचार मीनार नगर क्षेत्र मे अधिष्ठापित थे, जिस में से एक का स्थापना वर्ष अंकित नहीं है।

Year	No. of Towers	Dues on one Tower		
2007-08	7	242400	1696800	
2008-09	22	210800	4637600	
2009-10	4	181000	724000	
2010-11	2	153000	306000	
	35	TOTAL	7364400	

इन संचार मिनारों के विरूद्ध दिनांक 31.03.2016 तक कुल रू 7364400 बकाया था। इन संचार मिनारों से बकाया राशि की नियमानुसार वसूली की जाय।

प्रस्तुत सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावर के अतिरिक्त एंटिना का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार अतिरिक्त एंटिना पर मूल टावर के 60 प्रतिशत के दर से शुल्क लेने का प्रावधान है। अतः अतिरिक्त एंटिना का सर्वे शीघ्र कराकर शुल्क की वसूली की जाय।

उक्त 36 संचार मिनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर निकाय कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी की विस्तृत विवरणी होल्डिंग संख्या सहित अतिशीघ्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे लेखा परीक्षा में यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निकाय कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर वसूली की जा रही है अथवा नहीं।

जवाब में कहा गया कि सभी संचार टावरो को बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली की जाय।

कंडिका 4– फर्निचर क्रय में अनियमितता एवं वैट की कटौती नहीं रू 62274

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच के क्रम में फर्निचर क्रय से सबंधित संचिकाओं के जॉच के क्रम में पाया गया कि सामग्रियों का क्रय नियमानुसार नहीं किया गया था। बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(I) के अनुसार Limited Tender Enquiry की प्रक्रिया तब अपनायी जाती है जब अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्रियों का आकलित मूल्य पच्चीस लाख रुपये तक हो। बोली से संबंधित दस्तावेज की प्रतियॉ उन फर्मों को जिनका नाम नियम 131 के अन्तर्गत संदर्भित संबंधित वस्तुओं के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की सूची पर हो, सीधे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर/ई–मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। सीमित निविदा पुछताछ में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमित निविदाओं के लिए वेब आधारित प्रचार किया जाना चाहिए। अधिकाधिक संख्या में प्रतिस्पर्द्धात्मक आधार पर प्रत्युतरदायी बोलियॉ प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हीत करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु संचिका में यह दर्ज करते हुए कि "भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार गोदरेज कम्पनी से सामग्री/उपस्कर क्रय हेतु कोटेशन/निविदा की आवश्यकता नहीं है। निविदा नहीं आमंत्रित किया गया और सीधे ही सामग्रियों का क्रय कर लिया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	सामग्री का नाम	सामग्री की सं0	राशि
1.	Godrej Premier Chair	24	99,315.36
2.	Godrej Office Table	09	91,212.48
3.	Godrej Storwel	05	89,280.60
4.	Godrej Exclusive Revolving Chair	02	28,869.49
5.	Godrej Exclusive Table	01	36,953.58
6.	Godrej Conference Table	08	63,474.19
7.	Godrej Conference Chair	08	52,165.68
Vat			62,274.33
Carriage Charge			6,200
TOTAL			529765.71

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) नगर परिषद् द्वारा निविदा के नियमों का पालन नहीं किया गया था जिसके कारण सामग्रियों के क्रय में प्रतियोगात्मक मूल्य के लाभ से नगर परिषद् को वंचित रहना पड़ा। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक, जिसके अनुसार गोदरेज कम्पनी से सामग्री/उपस्कर क्रय हेतु कोटेशन/निविदा की आवश्यकता नहीं है की प्रति भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(P) के अनुसार संविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्ता, जिन्हें करार प्रदान किया जाय से Performance Security प्राप्त किया जाना है। Performance Security सभी सफल बोलीकर्ता से उनके उनके पंजीकरण स्टेटस को ध्यान में रखे बिना प्राप्त की जाएगी। Performance Security 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होना चाहिए। Performance Security सभी तरह से क्रेता के हितों को सुरक्षित करने वाला/किसी वाणिज्यिक बैंक से स्वीकार योग्य फार्म में निर्गत एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी हो सकता है। Performance Security वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्ता के सभी करार दयित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए। Performance Security की प्राप्ति पर सफल बोलीकर्ता को Bid Security वापस कर दी जानी चाहिए।

परंतु नगर परिषद् द्वारा ऐसा नहीं किया गया और पूरा भुगतान अनियमित तरीके से कर दिया गया। इस प्रकार Performance Security प्राक्कलित राशि रु0 4,61,290 का 10 प्रतिशत अर्थात रु0 46,129 आपूर्तिकर्ता को अनियमित तरीके से भुगतान कर दिया गया।

(iii) बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार की सामग्री के भुगतान के समय वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तथा वैट के रुप में कटौती की गई राशि वाणिज्य कर विभाग में जमा कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिम्मेवार व्यक्तियों से दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सामग्री क्रय हेतु किए गए भुगतान के समय वैट की राशि रु0 62,274 की कटौती नहीं की गयी थी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि तकनीकी पदाधिकारी से जॉच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए वैट की कटौती योग्य राशि रू **62274** संबंधित फर्म से वसूल कर वाणिज्यकर विभाग को भेजा जाय।

कंडिका 5– बस पड़ाव की बकाया बंदोबस्ती की राशि रू 167928 की वसूली नहीं किया जाना

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच के क्रम में सैरात बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं की जॉच के क्रम में पाया गया कि बस पड़ाव की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए रु0 6,00,100 में किया गया था। बन्दोबस्ती राशि का 75 प्रतिशत रु0 4,50,075 कार्यादेश निर्गत करने के समय जमा कर दिया गया था जबकि शेष 25 प्रतिशत अर्थात रु0 1,50,025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी बन्दोबस्तधारी द्वारा जमा नहीं किया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

सुरक्षित जमा राशि – 5,88,500

बन्दोबस्ती राशि – 6,00,100

जमा राशि – 4,50,075

बकाया राशि – 1,50,025

स्टाम्प शुल्क की राशि – 18,003 (बन्दोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत)

बन्दोबस्तधारी का नाम – संतोष पाण्डेय, जगदीशपुर, काराकाट, रोहतास

लेखापरीक्षा अभियुक्ति –

(i) एकरारनामा की शर्त 4 तथा 5 के अनुसार पॉच माह पूर्ण होने पर शेष वार्षिक किस्त जमा करना अनिवार्य होगा। दो माह से अधिक विलम्ब से शेष किस्त की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर विलम्ब शुल्क के साथ राशि जमा करने हेतु सूचित करेंगे। अवधि समाप्ति के बाद एकरारनामा रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को होगा। परन्तु बन्दोबस्तधारी द्वारा पॉच माह पूर्ण होने पर शेष वार्षिक किस्त जमा नहीं करने के बाद भी कार्यपालक पदधिकारी द्वारा न तो विलम्ब शुल्क के साथ राशि जमा करने हेतु कोई सूचना दी गयी और न ही एकरारनामा रद्द किया गया। एकरारनामां में विलम्ब शुल्क की दर/राशि भी निर्धारित नहीं किया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण एकरारनामा का प्रतीक है।

(ii) इंडियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती निबंधन/पंजीकरण होना आवश्यक है। इंडियन स्टाम्प एक्ट के सिडयूल 1(अ) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के द्वारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया है। बन्दोबस्ती का एकरारनामा कार्यपालक पदाधिकारी एवं बंदोबस्तधारी के बीच मात्र रु0 100 मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक पर किया गया था। इस प्रकार रु0 17,903 के कम के स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा करने के कारण समतुल्य राशि की हानि सरकार को संबंधित मद में हुई।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि बन्दोबस्ती के बकाया राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रु 167928 (150025+17903) की वसूली की जाय।

कंडिका 6– टिन टिकट तथा विज्ञापन/होर्डिंग की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण हानि

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं के नमूना जॉच के क्रम में सैरात बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं के जॉच के क्रम में पाया गया कि टिन टिकट तथा विज्ञापन/होर्डिंग की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 में नहीं हो पाने की स्थिति विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद् को न्यूनतम रु0 4,29,550 की संभावित हानि हुई। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि
1.	टिन टिकट	55,550
2.	विज्ञापन/होर्डिंग	3,74,000
	कुल	4,29,550

संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त सैरात की बंदोबस्ती हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी बंदोबस्ती में किसी भी व्यक्ति के भाग नहीं लेने के कारण उक्त सैरात की बंदोबस्ती स्थगित कर दी गयी थी। **बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से विभागीय वसूली की जानी चाहिए थी।** विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद् को न्यूनतम रु0 4,29,550 की संभावित हानि हुई।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः इस मामले में जिम्मेवार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाय।

कंडिका 7– लैपटॉप क्रय की संचिका का प्रस्तुत नहीं किया जाना

नगर परिषद, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच के क्रम में लेखापाल रोकड़ बही की जॉच के क्रम मे पाया गया कि लैपटॉप कय हेतु रु0 12,93,200 का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	चेक सं0/तिथि	निधि का नाम	राशि
1.	–/09.05.15	अंकित नहीं	7,90,000
2.	–/11.05.15	अंकित नही	5,03,200
		कुल	12,93,200

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

(i) रोकड़ बही में चेक सं0, बैंक का नाम तथा खाता सं0 अंकित नहीं किया गया था जिसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस चेक से उपरोक्त व्यय का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका की बार– बार मौखिक रुप से मॉग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि कृत व्यय कि सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि लैपटॉप क्रय संचिका अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। अतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद में किया गया कुल व्यय रू 1293200 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 8– सोलर लाईट मरम्मती की संचिका का प्रस्तुत नहीं किया जाना

नगर परिषद, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच के क्रम में लेखापाल रोकड़ बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् के अन्तर्गत सोलर लाईटों की मरम्मती हेतु अक्षय उर्जा शॉप, राज इलेक्ट्रॉनिक्स, सासाराम को रु0 67,44,975 का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	चेक सं0/तिथि	निधि का नाम	राषि
1.	–/06.05.15	13th F C	40,00,000
2.	–/06.05.15	13th F C	8,52,500
3.	–/11.05.15	M F	18,92,475
		TOTAL	67,44,975

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

(i) रोकड़ बही में चेक सं0, बैंक का नाम तथा खाता सं0 अंकित नहीं किया गया था जिसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस चेक से उपरोक्त व्यय का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित संचिका की बार– बार मौखिक रुप से मॉग किए जाने तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर, रोहतास के साथ चर्चा के दौरान उक्त संचिका की मॉग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से कि कृत व्यय की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सोलर लाईट से सबधित संचिका अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। अतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद में किया गया कुल व्यय रू 6744975 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 9– कबीर अंत्येष्टि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका का प्रस्तुत नहीं किया जाना।

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच के कम में लेखापाल रोकड बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर कर्मियों को कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि लाभुकों को आवंटित करने हेतु रू0 3,62,000 का अग्रिम भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

कम	चेक सं0 / तिथि	राशि	किसे अग्रिम दिया गया
1.	617936 / 26.11.15	50,000	अमर कुमार
2.	617937 / 27.11.15	90,000	''
3.	617938 / 05.12.15	60,000	''
4.	617939 / 14.01.16	57,000	कृष्ण देव पासवान
5.	617941 / 16.02.15	1,05,000	सुधीर कु0 रावत
	कुल	3,62,000	

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

(i) उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका की बार– बार मौखिक रुप से मॉग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। सुधीर कु0 रावत के रू 105000 के अभिश्रव को छोड़कर अन्य व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि कृत व्यय कि सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सुधीर कु0 रावत द्वारा 105000 का अभिश्रव प्रस्तुत कर दिया गया है, शेष आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। अतः सबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद मे किया गया कुल व्यय रू 257000 (362000– 105000) लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 10--सामाजिक सुरक्षा पेंशन का उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका अप्रस्तुत

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखाओं की नमूना जॉच के कम में लेखापाल रोकड़ बही की जॉच के कम में पाया गया कि नगर परिषद् के रोकड़पाल श्री सुधीर कुमार रावत को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभुकों को आवंटित करने हेतु रू0 34,43,800 का अग्रिम भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

कम	चेक सं0 / तिथि	राशि
1.	000045 / 23.11.15	6,25,000
2.	000046 / 07.12.15	12,00,000
3.	000049 / 18.03.16	6,78,600
4.	000050 / 31.03.16	3,41,000
5.	000051 / 31.03.16	5,99,200
	कुल	34,43,800

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :--

(i) उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका की बार– बार मौखिक रुप से मॉग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि कृत व्यय कि सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी, रोहतास को प्रेषित कर दिया जायगा। अतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद में किया गया कुल व्यय रू 3443800 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 11– बकाया दुकान किराया एवं सेवा कर की वसूली नहीं

1. नगर परिषद् के दुकानों का बकाया किराया

नगर परिषद के दुकानो के किराया की मॉग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित दुकानदारों एव नगर परिषद् द्वारा क्रियान्वित एकरारनामा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया है। लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार विभिन्न दुकानदारों के पास दिनांक 31.03.2016 रू बकाया है। सभी दुकान के एकरारनामा तथा मांग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

दुकानों का विवरणी	**बकाया राशि**	**अभियुक्ति**
बस स्टेण्ड डिहरी अवस्थित दुकान	2327200	प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 12–13 से अब तक कोई राशि की वसूली नहीं की गयी है।
नगरपालिका मार्केट अवस्थित दुकान	672840	
TOTAL	**3000040**	

अतः बकाया राशि रू **3000040** की शीघ्र वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाय।

2. नगर परिषद् द्वारा सेवा कर की वसूली नहीं किया जाना

भारत सरकार द्वारा जुलाई 1994 में वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से चुनिंदा सेवाओं के लिए सेवा कर लागू किया गया है जिसके अंतर्गत इन सेवा प्रदाताओं को सेवा कर का भुगतान करना है। इस अधिनियम की धारा 65 बी एवं 66 ई के अनुसार किराया पर लगाये जाने वाले अचल संपत्तियों अथवा इस तरह के किराये के उपयोग में किये जाने वाले अन्य सेवाओं अथवा इनके वाणिज्यिक उपयोग पर सेवा कर अधिरोपित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 75 तथा 76 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर निर्धारित अवधि में सेवा कर की वसूली नहीं की जाती है तो 15 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष इस पर सूद देय होगा।

एकरारनामा तथा मॉग एवं वसूली पंजी के अभाव में सेवा कर की राशि की गणना नहीं की जा सकी है। अतः नियमानुसार सेवा कर की वसूली एवं प्रेषण सुनिश्चित किया जाय।

नगर निकाय, कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित दुकानदारों को बकाया किराया जमा करने हेतु नोटिस दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू 3000040 वसूल किया जाय।

कंडिका 12– कम जमा रू 1230293

नगर परिषद डिहरी डालमियॉनगर के वित्तीय वर्ष 2015–16 के होल्डिंग/ विविध रसीद के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कर संग्रहकर्ता द्वारा संग्रह की गयी राशि से रू **1230293** कम जमा किया गया था, जिसे संबंधित कर संग्रहकर्ताओं से वसूला जाए।

विवरणी

रसीद सं0	तिथि/ अवधि	संग्रह राशि	जमा राशि	कम जमा	लेखापरीक्षा अवधि में जमा	शुद्ध बकाया	कर संग्रहकर्ता	अभियुक्ति
9901	05.05.16	2859	0	2859	0	2859	श्री दवन प्रसाद	एच रसीद
9904 से 9921	06.05.16	25279	0	25279	0	25279	श्री दवन प्रसाद	एच रसीद
9744 से 9757	02.05.16 से 6.5.16	76856	0	76856	0	76856	श्री विजय कु गुप्ता	एच रसीद
9759 से 9770	6.5.16 से 7.5.16	42269	0	42269	0	42269	श्री विजय कु गुप्ता	एच रसीद
9772 से 9800	10.5.16 से 28.5.16	70462	0	70462	0	70462	श्री विजय कु गुप्ता	एच रसीद
101 से 129	20.5.16 से 2.6.16	140999	0	140999	0	140999	श्री विजय कु गुप्ता	एच रसीद
1601 से 1700	20.6.14 से 17.09.14	5665	0	5665	0	5665	श्री दुर्गेश कुमार	एम रसीद
1508 से 1556	....	14700	0	14700	0	14700	श्री प्रभाकर कुमार	एम रसीद
7984 से 8000	30.6.15 से 9.7.15	52899	0	52899	0	52899	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	एच रसीद
9664 से 9700	27.4.16 से 10.5.16	184169	0	184169	0	184169	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	एच रसीद

1 से 35	21.5.16 से 2.6.16	226488	0	226488	0	226488	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	एच रसीद
9319 से 9348	1.3.16 से 1.4.16	234828	225998	8830	0	8830	श्री प्रवीण कु श्रीवास्तव	एच रसीद
9809 से 9867	26.4.16 से 1.6.16	378818	0	378818	0	378818	श्री प्रवीण कु श्रीवास्तव	एच रसीद
	कुल	1456291	225998	1230293	0	1230293		

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी सबंधित संग्रहकर्ताओं को बकाया राशि जमा करने हेतु आदेश दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए बकाया राशि रू **1230293** की शीघ्र वसूली की जाय।

कंडिका 13— रसीद अप्रस्तुत

नगर परिषद् डिहरी डालमियानगर के वर्ष 2015—16 के अंकेक्षण में प्रस्तुत रसीद भंडार पंजी के मिलान में पाया गया कि निम्न रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

रसीद संख्या	निर्गत तिथि	रसीद का प्रकार	प्राप्तकर्ता का नाम	अभियुक्ति
1801 से 1900	03.01.15	एम रसीद	श्री निवास तिवारी	
1301 से 1400	28.12.13	एम रसीद	श्री शंभू नाथ चौबे	
1501 से 1600	13.03.14	एम रसीद	श्री प्रभाकर कुमार	
8701 से 8800	07.10.15	एच रसीद	श्री रवि कुमार	

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी सबंधित कर्मचारियों के द्वारा रसीद अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए सभी रसीदों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका 14— दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रू0 65.83 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न से 1—103/87—1231/न वि वि0 दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी/कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है तथा इस पत्रांक के द्वारा साफ सफाई कार्य बाह्य स्रोत से कराये जाने का प्रावधान है, जिसके लिए निविदा आमंत्रण करना आवश्यक है।

लेकिन नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015—16 के लेखापाल रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि उपर्युक्त वर्णित दिशानिर्देश के विरूद्व इस कार्यालय के द्वारा दैनिक मजूदरी पर रू0 65,83,700 का अनियमित भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	चेक सं0 / तिथि	विवरण	मद	राशि
1	– / 25.04.15	जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2015	13th FC	9,46,554
2	018974 / 21.09.15	अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त 2015	14th FC	24,86,262
3	018975 से 018978 / 23.11.15	सितम्बर एवं अक्टूबर 2015	14th FC	8,56,180
4	018979 से 018980 / 09.01.16 एवं 000001 से 000002 / 09.01.16	नवम्बर एवं दिसम्बर 2015	14th FC	11,16,820
5	000003 से 000006 तथा 552650 / 18.03.16	जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2016	13th FC	11,77,884
कुल योग				65,83,700

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

(i) सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्व दैनिक मजदूरी पर वर्ष 2015–16 में उपर्युक्त वर्णित कुल रू0 65,83,700 का अप्राधिकृत व्यय करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

(ii) संचिका में संलग्न मस्टर रौल कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था। जिसके कारण मस्टर रौलों को प्राधिकृत नहीं कहा जा सकता है।

(iii) मजदूरों का खाता सं0, हस्ताक्षर, मजदूरी की दर तथा मजदूरों को भुगतान की जाने वाली कुल राशि का वर्णन भी मस्टर रौल पर नहीं किया गया था। जिसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस मजदूर को कितनी मजदूरी देय थी तथा उसी मजदूर को राशि का भुगतान किया गया।

(iv) ज्ञापांक 493 दिनांक 18.03.16 के द्वारा भेजे गए एडवाईस लिस्ट के अनुसार जनवरी तथा फरवरी 2016 का मजदूरी भुगतान मजदूरों के खाते में किया गया था। एडवाईस तथा मस्टर रौल के मिलान के क्रम में पाया गया कि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, डेहरी के खाता सं0 73490100114905 जो कि श्री दुर्गा राम के नाम था में रु0 9,114 का भुगतान किया गया था परन्तु श्री दुर्गा राम का नाम संलग्न मस्टर रौलों में कहीं नहीं था। बिना मस्टर रौल पर नाम के ही किस प्रकार मजदूरी भुगतान किया गया।

(v) जनवरी से मार्च 2016 के लिए प्रयोग किए गए मस्टर रौलों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल 18 मजदूरों से कार्य तो कराया गया लेकिन मस्टर रौल पर उन मजदूरों के नाम के आगे लिख दिया गया कि "भुगतान नहीं करना है "। इसके बावजूद उक्त सभी मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया गया।

(vi) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि फरवरी 2015 से अगस्त 2015 तक नगद मजदूरी भुगतान किया गया था लेकिन प्राप्ति का साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया।

(vii) सफाई कार्य हेतु नगर परिषद् बोर्ड तथा सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावो का अनुपालन भविष्य में किया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाये। निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण रू. 6583700 को अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है।

भाग– III (TAN)

टिप्पणी 1 - भवन कर बकाया एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस का प्रेषण नहीं

(क) भवन कर –बकाया भवन कर (मांग एवं वसूली) की कम वसूली

भवन कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा नगर विकास विभाग को मार्च 2016 में भेजे गये मासिक प्रतिवेदन के अनुसार भवन कर का बकाया निम्नवत् था। लेखापरीक्षा में भवन कर की वसूली संतोष जनक नहीं पायी गयी, अतः वसूली को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

No. of Holdings	Demand			Collection			Percentage
	Arrear	Current	Total	Arrear	Current	Total	
15659	7500000	16810705	24310705	2551054	3906415	6457469	26.56

सरकारी भवनों पर भवन कर की बकाया राशि

नगर परिषद् द्वारा भवन कर की माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। किसी भी सरकारी भवन का लेखापरीक्षा की माँग करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सरकारी निधि में जमा नहीं किया जाना

सरकारी निर्देशानुसार मकान कर का 50% स्वास्थ्य उपकर एवं 50% शिक्षा उपकर के मद में नगर निकाय द्वारा वसूल करना था तथा 10 प्रतिशत की राशि वसूली के एवज में काटकर 90 प्रतिशत की राशि सरकारी निधि मे जमा की जानी थी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की वसूली गयी राशि संबंधी प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भवन कर की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएगे। मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर दिखाया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

टिप्पणी 2 – परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों, जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है, के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।''

नगर परिषद, डिहरी डालमियाँनगर द्वारा परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है, अतः यह पता नहीं चल सका कि नगर निकाय के पास कितनी परिसम्पति है। साथ ही साथ यह भी पता नहीं चल सका कि परिसम्पत्तियों से नगर निकाय को कितनी आय प्राप्त हो रही है।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

टिप्पणी 3– राशि का अवरोधन

निम्नांकित मदों से संबंधित लेखा/रोकड़बही की जाँच में पाया गया कि उक्त मदों में भारी राशि लम्बे समय से अवरूद्ध पड़ी हुई है। वर्ष 2015–16 में इन मदों में नगण्य व्यय किया गया है।

मद	दिनांक 31.03.2015 का शेष	15–16 में व्यय	दिनांक 31.03.2016 का शेष	व्यय प्रतिशत
IDSMT	11412266	118113	11294153	1.03
BRGF	15432657	361098.98	15071558.02	2.34
11th Finance	592776	0	592776	0
MLC Fund	140820	0	140820	0
Adm. Building	2046527	0	2046527	0
Balika Samridhi Yozna	480249	0	480249	0
BPL Fund	12769	0	12769	0
12th FC	1255217	0	1255217	0
Pension Fund	28668	0	28668	0
Gandi Basti Yozana Scheme	2706858	0	2706858	0
Ward No 17 (Special Scheme)	1776075	0	1776075	0
Amrut Scheme	300000	0	300000	0
	36184882	**479211.98**	**35705670.02**	**1.32**

इतनी लम्बी अवधि से इतनी राशि के अवरोधन के कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। उदत राशि को निकाय कार्यालय द्वारा जनहित में इस्तेमाल हेतु आवश्यक नहीं होने की स्थिति में संस्वीकृतिदाता पदाधिकारी को वापस कर दिया जाए तथा कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित मदों की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

टिप्पणी 4– सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान,

वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तषेष को दर्ज किया जाना है। लेकिन नगर निकाय के द्वारा अद्यतन अनुदान पंजी संधारित नहीं किया गया था। इसके अभाव में सभी अनुदानों के संबंध में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारंभिक शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

हालांकि प्रस्तुत विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों एवं लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत कार्यालय को वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी अनुदान रू. 68029798/- (विवरणी संलग्न परिशिष्ट–III पर) प्राप्त किया गया था।

अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राषी अनुपयोगी पड़ी रही। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य अनुदान प्राप्त हुआ हो तो इसकी सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गयी।

अतः अनुदान पंजी का अद्यतन संधारण जिसमें अनुदानवार प्रारम्भिक शेष, वर्ष की प्राप्ति एवं व्यय तथा अंतशेष का विवरणी हो, किया जाय।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सरकारी अनुदान पंजी संधारित कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई किया जाय।

–हस्ता0–
संजीव नयन
ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (SS-I)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

डेहरी डालमिया नगर

Appendix-I

Reffered In Para 03.

List Of Records Produced And Test Checked

1. Accountant Cash Book, Cashier Cash Book and Subsidiary Cash Books.
2. Treasury Passbooks, Bank Passbooks and Bank Statements.
3. Govt Grant Register.
4. Scheme Register, Scheme Files.
5. H receipts, Miscellaneous Receipts and Stock Registers of HR and MR.
6. Sairat Files, Purchase files.
7. Vouchers and Salary Bills.

AAO

Appendix-II

Reffered In Para 03.

List Of Records Not Produced

1. Annual. Monthly and Quarterly accounts of receipts and payments.

2. Utilisation certificate. Loan and Loan appropriation register.

3. Law account and Suit register.

4. Advance ledger and adjustment register. Permanent advance register.

5. P F ledger and passbooks. Abstract of P F ledger.

6. Deposit ledger. Investment register. Stock and store register.

7. Service Books. Personnel files. Leave accounts.

8. Register showing sanctioned strength and superannuation of employees.

9. Fuel account. Audit register. Budget estimates. Proceeding register.

10. Asset register. Assessment register. Vehicle register. Tin ticket register.

11. Demand and collection register of Holding tax. Shops. O & D trades.

12. Water connection register. Progress statement and K ledger.

13. List of outstanding taxes. Mutation register. Remission register.

14. Building petition register. Saleable form accounts. Rent register.

15. Compliance report of last and previous Audit Reports.

16. Fixed demand register of Shops. Stalls. Land. Market etc.

17. Pension account and Files of revision of taxes.

18. Logbooks of vehicles.

Sd/-
AAO

डेहरी डालमियानगर, नगर परिषद — IV

कंडिका 14.

अनुदान - विवरणी

क्र० सं०	दिनांक	पत्रांक	मद	विवरणी	राशि
1	2	3	4	5	6
01.	23.12.15.	75.	14वाँ वित्त आयोग	न० वि० एवं आ० वि०	1,54,79,528:00
02.	29.08.15.		NULM	राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन	6,70,000:00
03.	21.03.16.	123	पंचम वित्त आयोग	प्रधान सचिव, न०वि० एवं आ०वि० पटना।	2,96,00,699:00
04.	21.03.16.	"	"	"	45,71,038:00
05.	28.08.15.	37.	वाणिज्य कर।	न० वि० एवं आ० वि० पटना।	34,68,133:00
06.	01.03.16	114.	अमृत।	सरकार के विशेष सचिव न० वि० एवं आ० वि० पटना	3,00,000:00
07.	17.07.15.	16.	स्वच्छता अनुदान	"	1,39,40,400:00

कुल: ₹ 6,80,29,798:00

Ravi
A.C.

परिशिष्ट - IV

होलोग्राम द्वारा प्राप्त राशि तथा जमा राशि

क्र० सं०	सेल रसीद सं०	दैनिक पंजी में होलोग्राम का प्राप्त दिनांक	कर संग्राहक द्वारा होलोग्राम की जमा की गई राशि	जमा राशि	कर संग्राहक कर्मी का नाम
01.	7253-7300	30.04.15	1,10,858:00	1,10,858:00	श्री विमल गुप्ता
02.	7801-7844	30.05.15	79,275:00	79,275:00	,,
03.	7845-8008	30.06.15	1,76,184:00	1,76,184:00	,,
04.	8009-8028	31.07.15	46,817:00	46817:00	,,
05.	8029-8059	31.08.15	72,610:00	72,610:00	,,
06.	8060-8096	30.09.15	2,57,971:00	2,57,971:00	,,
07.	7487-7500	06.10.15	12,679:00	12,679:00	श्री छेदी प्रसाद
08.	7601-7610	30.04.15	50,512:00	52,512:00	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
09.	7611-7629	30.05.15	38,617:00	38,617:00	,,
10.	7630-7659	30.05.15	96,151:00	96,151:00	,,
11.	7660-7673	—	38,826:00	38,826:00	,,
12.	7674-7695	31.07.15	1,31,765:00	1,31,765:00	,,
13.	7701-7756	30.04.15	1,59,726:00	1,59,726:00	श्री शिवकुमार गुप्ता
14.	7757-7800	28.05.15	1,99,951:00	1,99,951:00	,,
15.	7901-7960	17.05.15	1,38,971:00	1,38,971:00	,,
16.	7961-7971	30.06.15	14,699:00	14,699:00	,,
17.	7972-7985	13.06.15	30,420:00	30,420:00	,,
18.	8201-8248	12.08.15	1,02,988:00	1,02,988:00	,,
19.	8249-8300	31.08.15	2,05,421:00	2,05,421:00	,,
		कुल: रु	19,66,441:00	19,66,441:00	

Sr. Ad.

परिशिष्ट - V

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका- 11, भाग- I से संदर्भित

क्र0	भाग	कंडिका सं0	लेखापरीक्षा के दौरान जमा किया गई राशि / वसूली हेतु सुझायी गयी राशि (रू0 में)	लेखापरीक्षा आपत्ति के अधिन रखी गयी राशि (रू0 में)
1	II (क)	1	1358475	8704305
2	II (क)	2	3314906	
3	II (ख)	4	— 62274	—
4	II (ख)	5	— 167928	—
5	II (ख)	7	— —	1293200
6	II (ख)	8	—	6744975
7	II (ख)	9	—	257000
8	II (ख)	10	—	3443800
9	II (ख)	11	— 3000040	
10	II (ख)	12	— 1230293	—
11	II (ख)	14	—	6583700
	कुल		— 9133916	27026980